

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/165854/MPR/MAINPURI/623/CFO

दिनांक : 17-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **PARAMOUNT INTERNATIONAL ACADEMY** पता **0, NEAR RASOOLABAD FLYOVER G T ROAD BEWAR, BHONGAON** तहसील - **BHONGAON** प्लॉट एरिया **3207.70 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1891.4** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	4.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **PARAMOUNT INTERNATIONAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **18-07-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PURUSHOTTAM DUBEY** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **18-07-2025** से **17-07-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **PARAMOUNT INTERNATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **PARAMOUNT INTERNATIONAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 45(4) के अन्तर्गत भवन स्वामी/अध्यासी प्रत्येक वर्ष जनवरी और माह जुलाई में भवन/परिसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम 2022 की धारा 26 में यथा विनिर्दिष्ट भली भाँति मरम्मत और अच्छी स्थिति में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अन्यथा की स्थिति में निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य/ढांचागत परिवर्तन किए जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट:-आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भवन का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र 02 सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

| यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है। |"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

YADUNATH SINGH

B9E93AF1B79D71E389CD82851B8F770FC2CB0E94

18-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-07-2025
स्थान : MAINPURI

